पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262802 (अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 3002/अका./सम्बद्धता/2016 रायपुर, दिनांक 03/12/2016

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.11.2016 की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2016 के अनुमोदनानुसार **आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ मैनेजमैंट डूमर तालाब, रायपुर जिला – रायपुर (छ.ग.)** को निम्नानुसार दर्शित कक्षा/विषय के लिये सत्र 2017–18 से अस्थायी सम्बद्धता सशर्त प्रदान की जाती है:–

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Com. (Compulsory Sub.) – I Year	40	2017-18
2.	B.Com. (Computer Appl.) – I Year	30	
3.	B.B.A. – I Year	40	

शर्तें :–

01. महाविद्यालय को शासन के पत्र कमांक एफ 17–03/2016/38–2 दिनांक 16.09.2016 के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों/विषयों की सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। शासन के उक्त आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
02. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
03. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
04. शिक्षकों/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
05. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
06. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदूओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर सम्बद्धता सत्र 2017–18 से प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई है।
07. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति व परिनियम 28 के तहत् न्यूनतम/आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति आदेश निर्गमन की तिथि से **तीन माह में** नियुक्त/पूर्ण करें।
08. शासन द्वारा जारी पत्र की सभी शर्तों के पालन 03 माह के अंदर पूर्ण कर, विश्वविद्यालय को सूचित करें।
09. उपरोक्त शर्तों की पूर्ति के लिए मार्च–अप्रेल 2017 को पुनः निरीक्षण किया जावेगा एवं शर्तों के पालन होने के पश्चात् संबद्धता सत्र 2017–18 से मान्य होगी।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी ।

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 3003/अका./सम्बद्धता/2016 रायपुर, दिनांक : 03/12/2016

प्रतिलिपि :–

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन नया रायपुर (छ.ग.)।
02. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
03. संबंधित महाविद्यालय के संचालक/प्राचार्य को।
04. संचालक, शारीरिक शिक्षा/विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला,
05. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
06. अध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययनशाला को इस निवेदन के साथ की इसे विश्वविद्यालय के वेबसाईट में सूचनार्थ Up-Load करें,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ ।

वरिष्ठ अधीक्षक (अका.)

F:\Desktop\Private Colleges\Sambdhata Adesh 2016.docx 23

नवीन अशासकीय महाविद्यालय

(आरआईटीईई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर)

निरीक्षण–प्रतिवेदन

निरीक्षण समिति के द्वारा दिनांक 30.09.2016 को प्रस्तावित नवीन अशासकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। आरआईटीईई कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, रायपुर, महानदी एजुकेशन सोसायटी के द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित है। महानदी एजुकेशन सोसायटी एक पंजीकृत संस्था है। समिति के स्वामित्व में 9.086 एकड़ जमीन है (संलग्न)। सोसायटी की स्थापना 24.02.1994 को हुई थी। प्रस्तावित महाविद्यालय हेतु भवन का क्षेत्रफल 2633.55 वर्गमीटर है, 200 फर्नीचर उपलब्ध है, 46 कम्प्यूटर की व्यवस्था है, 03 डी.व्ही.डी., आडियो–विजुअल उपलब्ध है, ग्रंथालय हेतु 1200 वर्गफुट का कमरा उपलब्ध है तथा इण्डोर एवं आउटडोर गेम की सुविधा है। प्रस्तावित महाविद्यालय में केंटीन, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था, विद्युत, प्रेक्षागृह, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। महाविद्यालय ने 80,00,000/– रूपयों (अक्षरी–अस्सी लाख रूपये मात्र) का बैंक बैलेंस संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराया है। अद्योसंरचना पर्याप्त है।

–ःशर्तेंः–

1. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियम 27 एवं 28 का पालन करने।
2. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कायिक शुल्क की राशि तत्काल जमा करने।
3. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परिनियम 28 के तहत् प्राचार्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति 03 माह के भीतर करने।
4. ग्रंथालय हेतु 2 लाख रूपयों की पुस्तकें कय करने।
5. अधिकारी एवं कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करने।

उपरोक्त शर्तों की पूर्ति की शर्त पर सत्र 2016–17 से निम्नानुसार पाठ्यकम प्रारंभ करने की अनुमति दिए जाने हेतु विचार किया जा सकता हैः–

कमांक	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01	बी.कॉम. सभी अनिवार्य विषय	40 सीट
02	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन)	30 सीट
03	बी.बी.ए. सभी अनिवार्य विषय	40 सीट

निरीक्षण समिति के सदस्य	हस्ताक्षर
डॉ. भगवन्त सिंह, आचार्य, दर्शनशास्त्र अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	(हस्ताक्षर) 30/9/2016
डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	(हस्ताक्षर) 30/9/2016
डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	(हस्ताक्षर) 30/9/16
डॉ. अंजनी कुमार शुक्ला, संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् पं. र.शु.वि.वि. रायपुर	(हस्ताक्षर) 30/9/16